न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 04 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

1. खेताराम पुत्र श्री हड़मानराम
2. खेमाराम पुत्र श्री अणदाराम
3. पदमाराम पुत्र श्री अणदाराम
4. मगाराम पुत्र श्री अणदाराम
   का.मु. अपीलांटगण 2,3 व 5
5. रायमलराम पुत्र श्री अणदाराम
6. हेमाराम पुत्र श्री लिखमाराम
7. मेगाराम पुत्र श्री लिखमाराम
8. श्रीमती झीमों धर्मपत्नि श्री
   लिखमाराम
9. दीपाराम पुत्र श्री जेठाराम
   कुआंरा फौत के कायम मुकाम
   अपीलांटगण 10
10. श्रीमती सोनी धर्मपत्नी श्री
    जेठाराम जातियान जाट
    निवासीयान कानासर तहसील
    शिव जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.पुराराम पुत्र श्री कुंभाराम
2.लिक्ष्मणा पुत्र श्री कुंभाराम
3.हरूराम पुत्र श्री चुनाराम
4.श्रीमती केहरी धर्मपत्नी श्री चुनाराम
जातियान जाट निवासीयान कानासर
तहसील शिव जिला बाड़मेर
5.खेमाराम पुत्र श्री राजूराम फौत का.मु.
5/1नगाराम पुत्र श्री खेमाराम
5/2श्रीमती अणसीदेवी पत्नी खेमाराम
6.अमराराम पुत्र श्री राजूराम का.मु.
6/1भंवराराम गोद पुत्र श्री अमराराम
6/2श्रीमती सुन्दर धर्मपत्नी अमराराम
7.मोटाराम पुत्र श्री राजूराम जाति
कुम्हार निवासी कानासर तहसील शिव
जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 64/2004, बअनवान खेताराम बनाम पूराराम में पारित आदेश दिनांक 13.03.2008 तथा मूल वाद संख्या 41/1996 बअनवान पूरा बनाम लिक्ष्मणा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2000 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हरीराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 5/1 से 07 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 28.10.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नागोणा पटवार मण्डल कानासर, तहसील शिव के खेत खसरा संख्या 105 रकबा 419.13 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी की आयी हुई है। उक्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट पट्टा राजू, हनुमान, अणदा, चेतन, कुम्भा के नाम जारी हुआ। इसके माफिक अपीलांटगण का 3/5 हिस्सा तथा उत्तरदातागण 1 ता 4 का 1/5 हिस्सा उत्तरदातागण 1 ता 4 ने मिलावट कर अपने खातेदारी में 1/4 हिस्सा बताकर विधि विरूद्ध ढंग न्यायालय से विधिक प्रक्रिया एवं सिद्धांतों को ताक पर रखकर डिक्री पारित करवा ली एवं जिसमें निहित प्रक्रिया एवं अपीलांटगण के विरूद्ध अमल में लायी गयी न्यायिक कार्यवाही को निरस्त करवाने के प्रार्थना–पत्र को खारिज कर अपीलांट के हक–हकूकों पर भारी कुठाराघात किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम सम्मन की तामीली प्रक्रिया का सम्यक रूप से नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण का 3/5 हिस्सा तथा ऊत्तरदातागण 1 ता 4 का 1/5 हिस्सा ऊत्तरदातागण 1 ता 4 ने मिलावट कर अपने खातेदारी में 1/4 हिस्सा बताकर विधि विरूद्ध ढंग न्यायालय से विधिक प्रक्रिया एवं सिद्धांतों को ताक पर रखकर डिक्री पारित करवा ली एवं जिसमें निहित प्रक्रिया एवं अपीलांटगण के विरूद्ध अमल में लायी गयी न्यायिक कार्यवाही को निरस्त करवाने के प्रार्थना–पत्र को खारिज कर अपीलांट के हक–हकूकों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 5/1 से 07 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 64/2004, बअनवान खेताराम बनाम पूराराम में पारित आदेश दिनांक 13.03.2008 तथा मूल वाद संख्या 41/1996 बअनवान पूरा बनाम लिक्ष्मणा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2000 को अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर **नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण** पर विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करे।

28/X/2020

(नखतदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/X/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर